Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. बिजेन्द्र प्रधान

for the paper titled

जननी सुरक्षा योजना की स्थिति का अध्ययन-लाडनू राजस्थान

Published in ***Drishtikon*** Journal Vol-11, Issue-05 Year 2019 ISSN: 0975-119X

International Refereed and Indexed Journal for Research Publication

With Impact Factor 5.1 UGC Care Listed

S.N. Sharma

Editor-in-Chief

editor@hindijournals.org

UGC
University Grants Commission

EDUINDEX®

Drishtikon *(Bimonthly Hindi Journal)*

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

जननी सुरक्षा योजना की स्थिति का अध्ययन-लाडनूं राजस्थान

डॉ. बिजेन्द्र प्रधान[1], डॉ. विकास शर्मा[2], डॉ. पुष्पा मिश्रा[2]

[1]सहआचार्य एवं विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनूं राजस्थान।

[2]सहायक आचार्य, समाजकार्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनूं, राजस्थान।

परिचय

मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर कम करने तथा संस्थागत प्रसव में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से जननी सुरक्षा योजना का वर्ष 2005 में शुभारम्भ किया गया। जिसके अन्तर्गत राज्य में सभी प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई।

जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम "सबके लिए स्वास्थ्य" को हकीकत में बदलने की खोज में आगे बढ़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

"जननी सुरक्षा योजना" पहली बार स्वास्थ्य देखभाल के बारे में नया दृष्टिकोण अपनाया गया है जो प्रसूता और बीमारी नवजात शिशु के हक और दोनों के अतिरिक्त खर्चों की भरपाई पर सर्वोच्च बल देता है। यह पहल राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह निःशुल्क एवं (सिजेरियन) ऑपरेशन सहित बिना किसी अतिरिक्त खर्च के प्रसव सुविधा हासिल करने का हकदार बनाती है।

जननी सुरक्षा योजना में यह शर्त रखी गयी है कि राजकीय संस्थानों में प्रसव सम्बन्धी सभी खर्च पूरी तरह से सरकार वहन करेगी, और सेवा उपयोग करने वाले से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूता को निःशुल्क दवाइयाँ और इस्तेमाल के लिए अन्य वस्तुएँ, निःशुल्क निदान, जहां कहीं भी जरूरत हो निःशुल्क रक्त और अस्पताल में रहने के दौरान महिला को निःशुल्क आहार आदि प्रदान किए जाते है।

इस कार्यक्रम में जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं का दी जाने वाली नकद सहायता की पूर्ति करने का भी प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य प्रसूताओं और बीमार नवजात

Copyright©authors

शिशुओं पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के बोझ को कम करना है। प्रसूताओं को दी जाने वाली नकद सहायता व राशि इस प्रकार से हैं-

- ग्रामीण महिला को 14,00 रूपये व शहरी महिला को 1000 रूपये की राशि नकद दी जाती है।
- बी.पी.एल. परिवार की महिला को प्रथम प्रसव पर राज्य सरकार की ओर से 5 किलोग्राम शुद्ध देशी घी दिया जाता है।
- अस्पताल में प्रसूता के साथ आए परिजनों के लिए बैठने एवं विश्राम की समुचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाती हैं।
- यदि प्रसूता स्वयं की तरफ से साधन लेकर जाती है तो उसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से रूपये दिए जाते है। जो इस प्रकार से हैं-

प्रसूताओं और जन्म के बाद 30 दिन तक बीमार नवजात बच्चों के हक

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं व राशि पर सरकार ने प्रसूताओं और जन्म के बाद 30 दिन तक बीमार नवजात बच्चों के हक के कुछ हक यानि अधिकार बताए हैं जो इस प्रकार से हैं-

1. निःशुल्क संस्थागत प्रसव।
2. आवश्यकतानुसार निःशुल्क सिजेरियन आपरेशन द्वारा प्रसव।
3. निःशुल्क दवाईयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री।
4. निःशुल्क जाँच सुविधाएं।
5. निःशुल्क भोजन।
6. निःशुल्क रक्त सुविधा।
7. निःशुल्क रैफरल ट्रांसपोर्ट।
8. यूजर चार्जेज से छूट।
9. निःशुल्क परिवहन

अध्ययन का उद्देश्य

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

यद्यपि सृष्टि का कोई भी कार्य निरूद्देश्य नहीं तथापि उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण शोध की दिशा को सकारात्मक बनाए रखता है। अध्ययन के कुछ पूर्व उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं -

1. जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
2. जननी सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में लोगों की जागरूकता के स्तर का आकलन करना।
3. जननी सुरक्षा योजना को लोगों द्वारा उपयोग में न लेने के कारणों के सम्बन्ध में जानना।
4. जननी सुरक्षा योजना से बी.पी.एल. परिवार को मिलने वाले लाभ का मूल्यांकन।
5. जननी सुरक्षा योजना से महिलाओं और बच्चों को मिलने वाले लाभ का मूल्यांकन।
6. महिलाओं का संस्थागत प्रसव के प्रति रूझान का मूल्यांकन।

अध्ययन का क्षेत्र

अध्ययनकर्ता ने नागौर जिले के लाडनूँ उपखण्ड में स्थित (दो गांवों को) एक छप्पारा ग्राम पंचायत के ग्राम शिमला और दूसरा ग्राम पंचायत बालसमन्द को अपने अध्ययन के लिए चुना है। अध्ययक्ष क्षेत्र के चुनाव में शोधार्थी ने समय, दूरी एवं उपलब्ध संसाधनों का ध्यान रखा है।

निदर्शन विधि

अध्ययन के व्यापक उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर अपने अध्ययन हेतु में वर्गीकृत दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया है।

तथ्य संकलन के उपकरण एवं विधियां

अध्ययन के दौरान प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का संकलन किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन में प्रमुख उपकरण साक्षात्कार अनुसूची थी। जिसमें तीनों प्रकार (Multiple choice, closed ended and open ended) के प्रश्न थे। शोधकर्ता ने प्रत्येक उत्तरदाता के पास जाकर इसे प्रयोग करते हुए पर्याप्त जानकारी प्राप्त की।

अध्ययन से पूर्व एक अध्ययन द्वारा साक्षात्कार अनुसूची का पूर्व परीक्षण किया गया था। अनुसूची के परीक्षण करने में उन चार परिवारों को चुना गया जो जननी सुरक्षा योजना से

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

जुड़े हुए थे। पूर्व परीक्षण से अध्ययनकर्ता को अनुसूची में कुछ विषय को सही करने व जानने में सहायता मिली।

तथ्यों का विश्लेषण

तथ्यों का संकलन के बाद तथ्यों की कोडिंग, सारणीकरण एवं विश्लेषण किया गया।

उत्तरदाताओं की मुख्य विशेषताएं

अधिकांश उत्तरदाता (64 प्रतिशत) 21 से 25 वर्ष तक तथा 22 प्रतिशत 26 से 30 वर्ष तक उम्र की थीं और 100 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म से थीं।

46 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित थीं और 32 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक तक शिक्षित थीं केवल 12 प्रतिशत उत्तरदाता पी. जी. की थीं।

54 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पारिवारिक व्यवसाय खेती है और 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पारिवारिक व्यवसाय सरकारी नौकरी तथा 14 प्रतिशत विदेशी मजदूरी है।

50 में से 46 उत्तरदातायें ऐसे थीं जिनके एक या दो बच्चे थे।

उत्तरदाताओं की जननी सुरक्षा योजना के प्रति विचारों का विश्लेषण

1. उत्तरदाताओं की जननी सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी

शोधार्थी ने उन 50 उत्तरदाताओं को चुना जो जननी सुरक्षा योजना एवं विषय के बारे में जानती है और किसी न किसी (कम/ज्यादा) प्रकार से जननी सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं।

चार्ट 1. उत्तरदाताओं की जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के प्रति के बारे में जानकारी

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

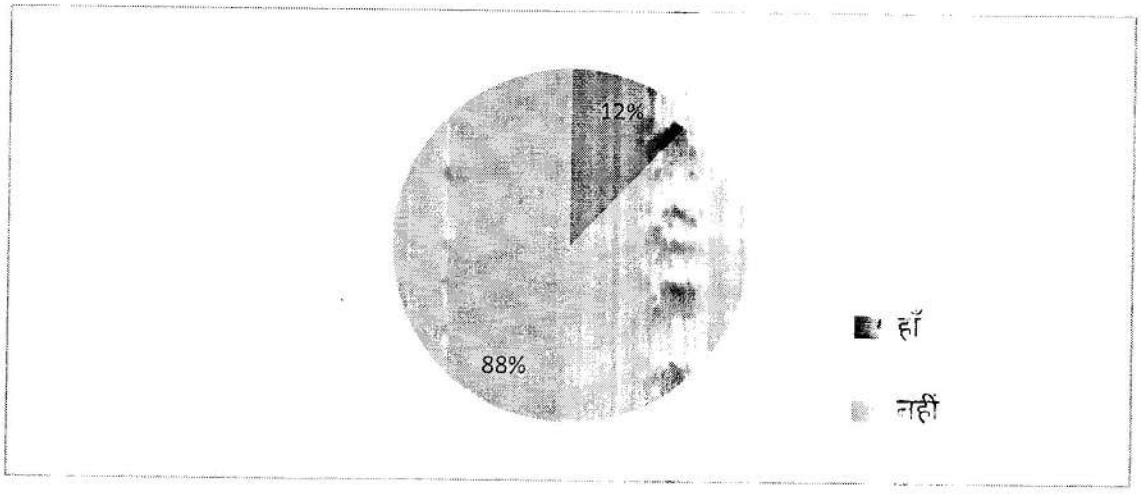

उपरोक्त पाईग्राफ से स्पष्ट है कि अधिकांश (88 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को अज्ञानता एवं अशिक्षा के कारण जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं व राशि के बारे में जानकारी नहीं है।

2. जननी सुरक्षा योजना के अनुसार सही सुविधाएं व राशि पूरी न मिलने पर किए उत्तरदाताओं द्वारा गए प्रयास

शोधार्थी द्वारा पाया गया कि कोई भी उत्तरदाता ऐसी नहीं है जिसने पूरी सुविधाएं व राशि न मिलने पर किसी भी प्रकार कोई कदम उठाया हो। इसका कारण यह था कि उन सभी उत्तरदाताओं को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चलाए गए सभी कार्यक्रमों की पूरी सही जानकारी नहीं थी।

3. उत्तरदाताओं व उत्तरदाताओं के परिवार वाले जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं से सन्तुष्टि

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं व राशि के बारे में उत्तरदाताओं को पुरी जानकारी नहीं थी। इसलिए जितनी भी सुविधा व राशि उन्हें दी गई है उससे वे सन्तुष्ट (खुश) है। उत्तरदाताओं का कहना है कि इससे जच्चा-बच्चा के प्रसव के समय आने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता है ओर स्वयं का खर्चा भी नहीं लगता है और लगता भी है तो कम ही लगता है।

सारणी 1. उत्तरदाताओं द्वारा प्रसव करवाने का स्थान

क्र.सं.	प्रसवर करवाने का स्थान	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सरकारी अस्पताल में	33	66

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

2.	मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में	13	26
3.	सरकारी व मान्यता प्राप्त निजी अस्तपताल में	3	6
4.	नर्स द्वारा सेन्टर पर	1	2
	योग	50	100%

उपरोक्त सारणी से बताया जा रहा है कि अधिकतम 49 उत्तरदाताएँ वे हैं जो अपना प्रसव हॉस्पिटल में करवाते है इन उत्तरदाताओं का मानना है कि हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं होती है। परिवहन के साधन भी हॉस्पिटल में हर समय मौजुद रहते हैं इसलिए प्रसव के समय आपातकालीन स्थिति से बचा जा सकता है।

सारणी 2. उत्तरदाताओं द्वारा प्रसव करवाने के स्थान का निर्णय

क्र.सं.	स्थान का निर्णय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सांस	4	8
2.	स्वयं व मां	15	30
3.	स्वयं व सास	3	6
4.	मां	28	56
	योग	50	100%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि प्रसव कहां पर करवाना है का निर्णय लेने की संख्या सबसे ज्यादा मां की है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ज्यादातर उत्तरदाताओं ने प्रसव अपने पीहर में रहकर करवाया है। और यह भी देखा जा रहा है कि प्रसव कहां पर करवाना है का निर्णय परिवार की महिलाओं द्वारा ही लिया गया है।

चार्ट 3. उत्तरदाताओं द्वारा प्रसव के समय अस्पताल में आने वाली परेशानियां

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

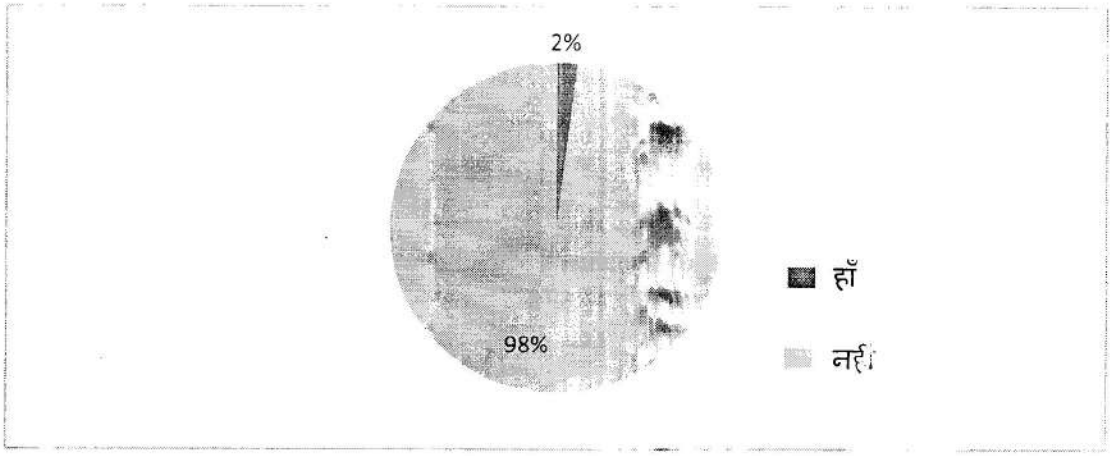

उपरोक्त पाईग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकतम 96 प्रतिशत उत्तर दाताओं को प्रसव के समय अस्पताल में कोई भी समस्याएं (कठिनाईयां) नहीं आयीं केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता को ही प्रसव के समय अस्पताल में समस्या आई। इन 2 प्रतिशत उत्तरदाता को प्रसव के समय इसलिए समस्याएं (कठिनाइयां) आई कि उस समय डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी।

4. उत्तरदाताओं द्वारा प्रसव के समय साफ-सफाई के सम्बन्ध में ध्यान

शोधार्थी द्वारा देखा गया कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे प्रसव के समय साफ-सफाई के सम्बन्ध में पुरा ध्यान देते हैं। उत्तरदाताओं का कहना है कि बच्चें को थोडी देर गिले या गन्दे कपड़े में लपेट देते है तो वे बीमार पड़ जाते हैं। अगर समय पर नहाएं नहीं तो भी बीमारी जैसी महसूसी होने लगती है।

चार्ट 4. उदतरदाताओं का गर्भपात

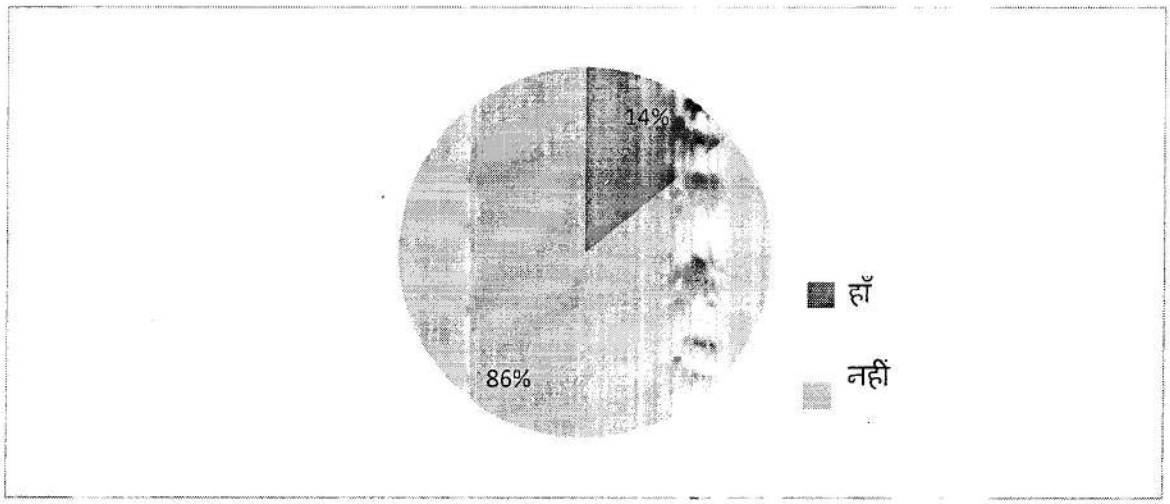

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

उपरोक्त पाई ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि 14 प्रतिशत उत्तरदाताएं हैं, ऐसे है जिनको गर्भपात हुआ है। अधिकांश 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कभी भी गर्भपात नहीं हुआ है। इसका कारण है कि आजकल महिलाएं पहले से ही अस्पताल से जुड़ी रहती है ओर डॉक्टर से सलाह लेती रहती है।

चार्ट 5. उत्तरदाताओं की सन्तान की प्रसव के समय मृत्य

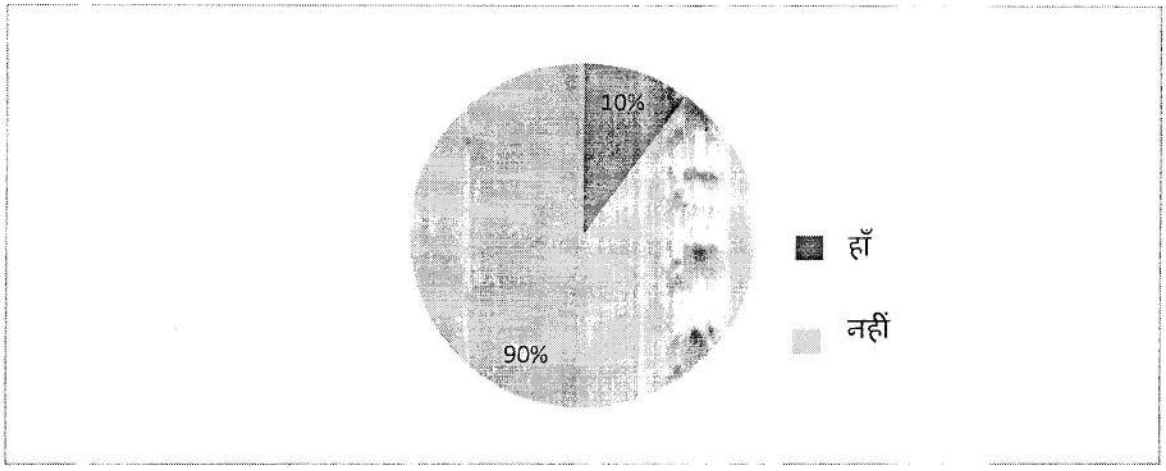

उपरोक्त पाई ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है। कि अधिकांश 90 प्रतिशत बच्चों को प्रसव के समय मृत्यु होने से बचाया गया है। केवल 5 बच्चों की ही मृत्यु प्रसव के समय हुई है। सारणी से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जननी सुरक्षा योजना के आने के पश्चात शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है।

चार्ट 6. उत्तरदाताओं का आयरन की गोलियां निःशुल्क मिलने की जानकारी

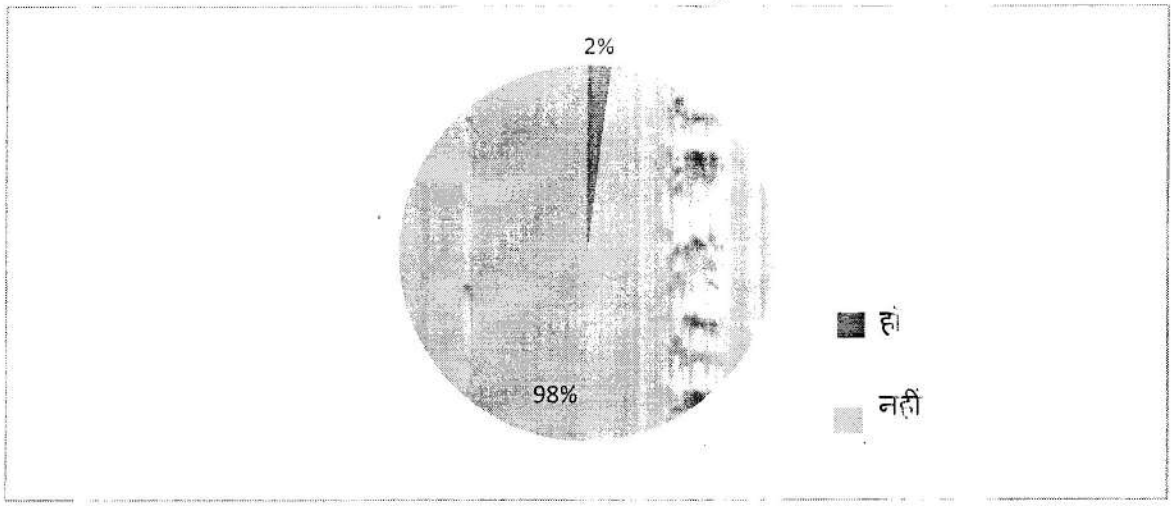

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

उपरोक्त पाई ग्राफ से यह देखने को मिल रहा है कि अभी तक भी 12% ऐसे उत्तरदाता है जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि आयरन की गोलियां निःशुल्क मिलती है। जबकि यह बात तो आजकल आम बात हो चुकी है।

चार्ट 7. उत्तरदाताओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाले ए.एन.सी. चैकअप की जानकारी

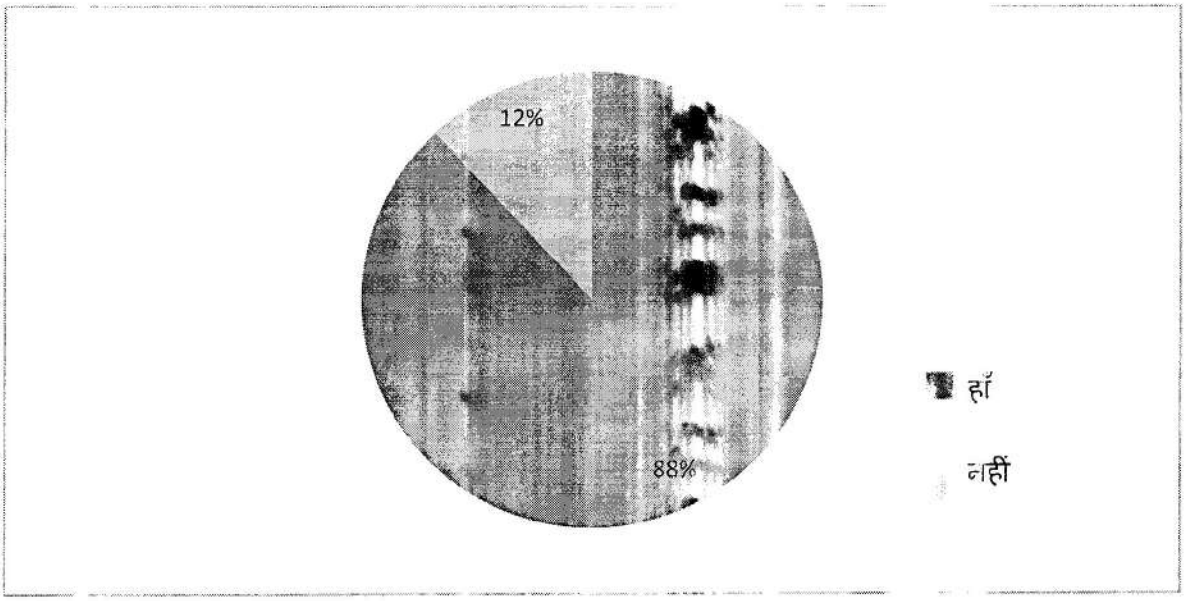

उपरोक्त पाईग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकांश 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस बात की जानकारी है कि गर्भावस्था के दौरान ए. एन. सी. चैक अप होता है केवल 12% उत्तरदाताओं को ही इस बात की जानकारी नहीं है कि गर्भावस्था में ए. एन. सी. चैक अप होता है।

चार्ट 8. उत्तरदाताओं द्वारा ए.एन.सी. चैक अप करवाना

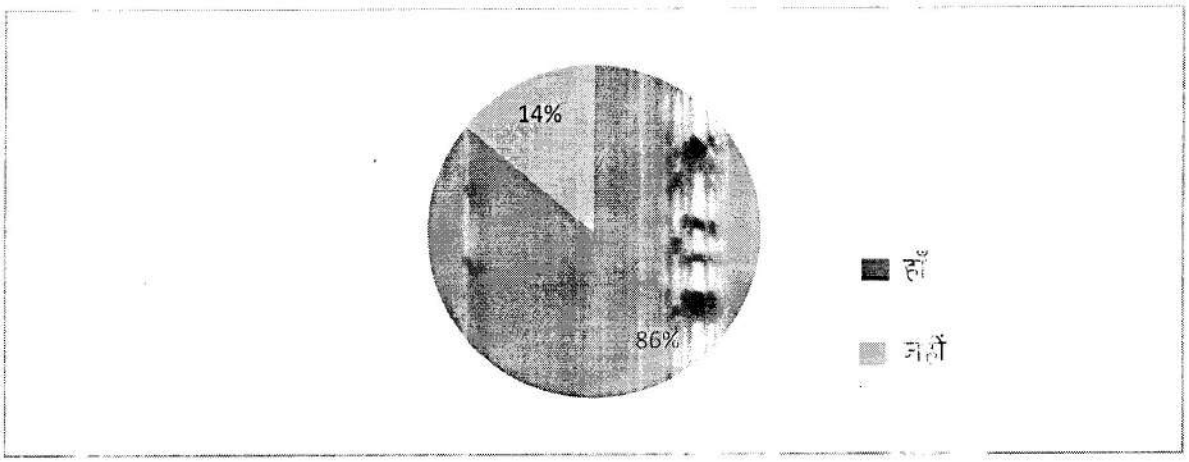

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

उपरोक्त पाईग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकांश 86 प्रतिशत उत्तरदाता गर्भावस्था में ए. एन. सी. चैक अप करवाते हैं। केवल कुछ 14 प्रतिशत उत्तरदाता ही ऐसे है जो गर्भावस्था में ए. एन. सी. चैक अप नहीं करवाते हैं।

सारणी 3. उत्तरदाताओं का ए. एन. सी. चैक अप करवाने का स्थान

क्र.सं.	चैक अप का स्थान	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सरकारी अस्पताल में	29	67.44
2.	मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में	14	32.86
	योग	43	100%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि ये 43 उत्तरदाता उस हॉस्पिटल में ए. एन. सी. चैक अप करवाते हैं जो कि जननी सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है।

शोधार्थी द्वारा देखा गया कि उत्तरदाता जिस अस्पपताल में ए. एन. सी. चैक अप करवाते है उसी अस्पताल में प्रसव करवाते हैं।

5. उत्तरदाताओं को गर्भावस्था के 12 सप्ताह बाद नर्स से रजिस्ट्रेशन करवाकर जच्चा-बच्चा कार्ड बनवाने की जानकारी

शोधार्थी द्वारा पाया गया कि 100% उत्तरदाताओं को इस बात की जानकारी है कि गर्भावस्था के 12 सप्ताह बाद नर्स से रजिस्ट्रेशन करवाकर जच्चा बच्चा कार्ड बनवा लेना चाहिए और यह भी पाया गया कि सभी उत्तरदाताओं ने गर्भावस्था में जच्चा-बच्चा कार्ड बनवाया था। सभी उत्तरदाताओं को इस बात की भी जानकारी है कि गर्भावस्था में दो-दो टीके लगवाने चाहिए। सभी उत्तरदाता उस स्थान से टीकारण करवाते हैं जहां पर सरकार मान्यता है।

चार्ट 9. उत्तरदाताओं का प्रसव ऑपरेशन द्वारा

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

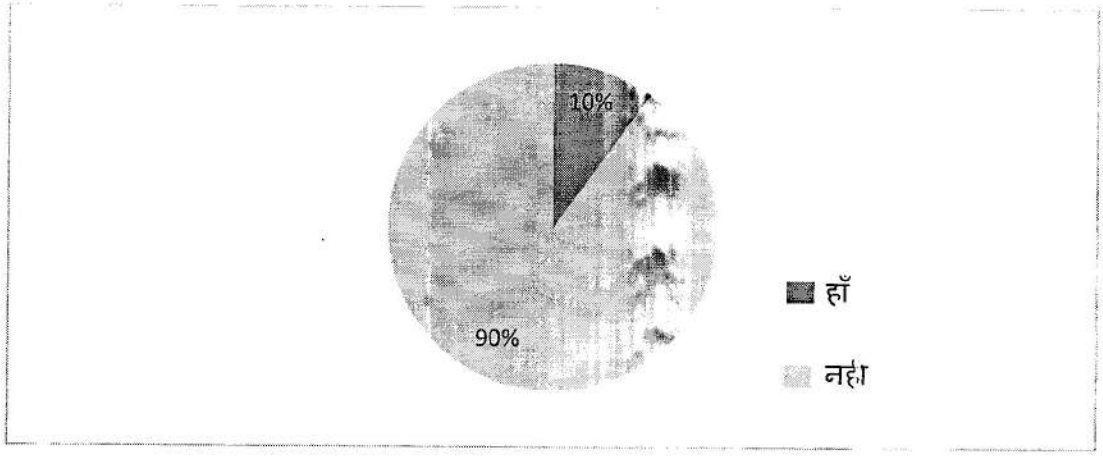

उपरोक्त पाईग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकांश 45 (90%) महिलाओं का प्रसव सामान्य हुआ है केवल 5 (10%) उत्तरदाता ऐसे है जिनका प्रसव ऑपरेशन द्वारा हुआ है।

6. उत्तरदाताओं को बच्चों के टीकारण की जानकारी

शोधार्थी द्वारा पाया गया कि 50 (100%) उत्तरदाताओं को बच्चों के लगने वाले टीकों की जानकारी हैं और पाया भी गया कि वे सभी 50 (100%) उत्तरदाता अपने बच्चों के टीकाकरण करवाती है।

निष्कर्ष और सुझाव

निष्कर्ष

अध्ययन कार्य से प्राप्त तथ्यों एवं उनकी विवेचना के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकले-

1. अध्ययन किए गए महिला परिवारों में अधिकतर महिलाएं अनपढ़ है, वर्तमान में भी शिमला गांव में शिक्षा के सन्दर्भ में ज्यादा अधिक जागरूकता नहीं है। जबकि बालसमन्द गांव वर्तमान में शिक्षा के सन्दर्भ में जागरूक हो रहा है।
2. अध्ययन किए गए महिला परिवारों में अधिकांश महिलाएं और उनके परिवार वाले खेती पर निर्भर है बहुत कम संख्या में सरकारी नौकरी पाई गई। परिवार के सदस्य बहुत ज्यादा संख्या में विदेशों में रहते हुए पाए गया है।
3. अध्ययन किए गए परिवारों में अधिकांश परिवारों में बच्चों की संख्या एक-एक या दो-दो पाई गई है और परिवारों का स्वरूप एकांकी पाया गया है। अतः कहा जा सकता है कि

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

प्राचीन काल में जहां परिवार संयुक्त रूप में रहते थे, वहां आज धीरे धीरे परिवार एकांकी हो गए है और आगे होते ही जा रहे है।

4. अध्ययन किए गए महिला परिवारों में सभी महिलाएं जननी सुरक्षा योजना से जुड़ी हुई है लेकिन बहुत कम महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं व राशि के बारे में पुरी जानकारी है।
5. अधिकतम महिलाएं अस्पताल में ही प्रसव करवाती है और उनके परिवार वाले भी अस्पताल को ही प्राथमिकता देते हैं।
6. अध्ययन किए गए महिला परिवारों में सभी महिलाएं (कम या ज्यादा) साफ-सफाई के सम्बन्ध में ध्यान देती है।
7. जननी सुरक्षा योजना के आने के बाद शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई हैं और बहुत कम उत्तरदाता ऐसी है जिनके बच्चों की प्रसव के बाद मृत्यु हुई है।
8. अधिकतम उत्तरदाता ऐसी है जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि गर्भावस्था में 100 आयरन की गोलियां लेनी चाहिए।
9. अधिकांश उत्तरदाताओं को गर्भावस्था में होने वाले तीन बार ए.एन.सी. चैक अप की जानकारी है और वो गर्भावस्था में ए.एन.सी. चैक अप करवाती है लेकिन तीन बार ए.एन.सी. चैक अप बहुत कम महिलाएं करवाती है।
10. लगभग सभी महिलाएं जानती है कि गर्भावस्था में टीके लगवाने चाहिए। और सभी महिलाएं टीकाकरण करवाती है। सभी उत्तरदाताओं को बच्चों के लगने वाले टीकारण के बारे में भी जानकारी है और टीकाकरण करवाती है।

सुझाव

1. ग्रामीण महिलाओं में जननी सुरक्षा योजना के प्रति जागरूकता की कमी है। अतः समय पर महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना पर अभियान आयोजित किया जाना चाहिए।
2. गांव में उपचिकित्सा केन्द्र उपलब्ध करवाये जाने चाहिए व प्रशिक्षित महिला डॉक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।
3. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं महिलाओं को प्रशासन की तरफ से पूरी मिलनी चाहिए ताकि महिलाओं का संस्थागत प्रसव के प्रति रूझान बढ़े।

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-5
September-October-2019

4. गर्भवती महिलाओं के लिए बार-बार स्वास्थ्य सम्बन्धी कैम्प आयोजित किया जाना चाहिए तथा गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच करवाने व बच्चों के टीकाकरण हेतु महिलाओं को प्रेरित किया जाना चाहिए।
5. ग्रामीण महिलाओं ओर गर्भवती महिलाओं को 103 ऐम्बुलेंस की जानकारी दिया जाना चाहिए।
6. इन सबके साथ किशोरियों के लिए भी शिक्षा व प्रशिक्षण का एक विशेष कार्यक्रम करना चाहिए ताकि किशोरियों को एक बेहतर भविष्य को संवारने में मददगार हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चेतना, सेन्टर फॉर हेल्थ, एज्युकेशन, ट्रेनिंग एण्ड न्यूट्रीशन एवेरनेस, अहमदाबाद, गुजरात।
2. राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, दिशा निर्देश राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (राजस्थान), एवं निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाएं (आई ई सी), राजस्थान, जयपुर।
3. तिवारी, डॉ संजय, कोष्टा, डॉ. शैलप्रभा, ग्रामीण विकास (सरकार की विविध योजनाएं), (2009), ओमेगा पब्लिकेशन्स दरियागंज, दिल्ली।
4. JSY.com.
5. www.thelancet.com/journals/lancet/jknrhm.com.
6. cghealth.nic.in/ehealth/2011/jssk/guidelinesforjssk1.pdf.

Copyright©authors